जनपद हरदोई

प्रेस नोट- कोतवाली शहर   दिनांक 02.08.2024

कोतवाली शहर पुलिस, स्वाट/ एसओजी व सर्विलांस टीम द्वारा मु0अ0सं0 486/24 धारा 61(2)/103(1) बीएनएस से संबंधित वांछित 05 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में-

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.07.2024 को वादी हर्ष मेहरोत्रा द्वारा कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 30.07.2024 को समय करीब 19.30 बजे वादी के भाई कनिष्क मेहरोत्रा अपने घर पर मौजूद थे। 02 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के भाई को घर में घुसकर गोली मारकर घायल कर दिया। घायल कनिष्क मेहरोत्रा उपरोक्त की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी। इस संबंध में कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 486/24 धारा 61(2)/103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। उच्च अधिकारीगण द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं घटना के अनावरण हेतु कई पुलिस टीमें गठित कर लगायी गयी। घटना का अनावरण कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस टीमों द्वारा सीसीटीवी फुटेज/सीडीआर व अन्य साक्ष्य संकलित कर अभियुक्तों को चिन्हित किया गया।

कार्यवाही-

दिनांक 30-07-2024 को जनपद हरदोई के थाना कोतवाली शहर के अन्तर्गत अधिवक्ता मृतक कनिष्क महरोत्रा पुत्र स्व0 जुगुल नारायण महरोत्रा उम्र 72 वर्ष निवासी बहरा सौदागर पूर्वी थाना कोतवाली शहर के बीचो बीच शहर मे घर मे घुसकर गोली मारने की

दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया गया था। उक्त घटना से पूरे प्रदेश मे सनसनी फैल गयी। जिसके लिये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने 07 से अधिक टीमो को घटना के सफल अनावरण हेतु टीमो का गठन कर लगाया एवं स्वंय भी दिन रात अनावरण हेतु लगे रहे। जिसकी पृष्ठभूमि वर्ष 2011 से बन रही थी जब 1- आदित्य भान सिंह पुत्र राजवर्धन सिंह निवासी सराय थोक पश्चिमी थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई, 2- वीरेन्द्र सिंह उर्फ वीरे यादव पुत्र स्व0 नत्थू सिंह निवासी ग्राम बरगदापुर थाना अरवल जिला हरदोई, 3- शिखर गुप्ता पुत्र राकेश कुमार गुप्ता निवासी धर्मशाला रोड निकट रफी अहमद चौराहा थाना कोतवाली शहर व 4- नृपेन्द्र त्रिपाठी पुत्र राम कृष्ण त्रिपाठी निवासी 290/14 रामनगर कालोनी लखनऊ रोड थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई उपरोक्त चारो ने मिलकर मृतक कनिष्क महरोत्रा के जन्म से किराये आवास जिसको खाली कराने का प्रयास किया गया। जिसके क्रम मे आदित्य भान सिंह पुत्र राजवर्धन सिंह निवासी सराय थोक पश्चिमी थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई और वीरेन्द्र सिंह उर्फ वीरे यादव पुत्र स्व0 नत्थू सिंह निवासी ग्राम बरगदापुर थाना अरवल जिला हरदोई से रामू महावत मिला था तथा रामू महावत ने आदित्य उपरोक्त के साथ डेरी का काम किया था। 1- आदित्य भान सिंह पुत्र राजवर्धन सिंह निवासी सराय थोक पश्चिमी थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई, 2- वीरेन्द्र सिंह उर्फ वीरे यादव पुत्र स्व0 नत्थू सिंह निवासी ग्राम बरगदापुर थाना अरवल जिला हरदोई, 3- शिखर गुप्ता पुत्र राकेश कुमार गुप्ता निवासी धर्मशाला रोड निकट रफी अहमद चौराहा थाना कोतवाली शहर व 4- नृपेन्द्र त्रिपाठी पुत्र राम कृष्ण त्रिपाठी निवासी 290/14 रामनगर कालोनी लखनऊ रोड थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई उपरोक्त चारो ने मिलकर रामू महावत के साथ कुल 04 लाख रूपये मे डील हुई थी। रामू महावत ने रामसेवक उर्फ लल्ला पुत्र स्व0 गोकरन निवासी जोगीपुर मजरा तत्यौरा थाना कोतवाली शहर, राजवीर पुत्र प्रधानी निवासी ग्राम जोगीपुर थाना कोतवाली शहर, व नीरज पुत्र संतराम निवासी झरोइया थाना कोतवाली शहर से सम्पर्क कर काम करने के लिये तैयार किया । आदित्य भान सिंह, वीरेन्द्र सिंह उर्फ वीरे यादव, शिखर गुप्ता व नृपेन्द्र त्रिपाठी चारो लोग बीच बीच मे घटना को अंजाम देने के लिये आपस मे मिलते भी थे। इन चारो की अधिकतर मीटिंग रफी अहमद चौराहे के आस पास होती थी। घटना को अंजाम देने के लिये एडवान्स पेमेन्ट लगभग दो माह पूर्व कुल 01 लाख 40 हजार रूपये मिले थे। जिसमे से 50 हजार रूपये नृपेन्द्र त्रिपाठी ने 50 हजार रूपये वीरेन्द्र सिंह उर्फ वीरे यादव ने व 40 हजार रूपये आदित्य भान सिंह ने दिये तथा शिखर गुप्ता ने काम होने के बाद अपना हिस्सा देने की बात कही थी। आदित्य भान ने पल्सर मोटर साईकिल को उपलब्ध कराया था। घटना वाले दिन रामसेवक उर्फ लल्ला और राजवीर और नीरज जोगीपुर मे इक्टठा हुये थे। रामसेवक उर्फ लल्ला ने उस दिन आदित्य को

फोन किया था कि हम लोग आज काम करने जा रहे है। रामसेवक उर्फ लल्ला और राजवीर और नीरज दिन मे कई बार शराब के ठेको पर गये और शराब पी। इसके बाद दिन में मोटर साईकिल पन्चर होने पर सिनेमा रोड़ पर पन्चर बनवाया फिर सरकुलर रोड पर गये जहाँ शराब पी। इसके बाद फिर नुमाइश रोड पर गये और शराब खरीदी और पी गयी। इसके बाद ये लोग घटना को अंजाम देने के लिये चल दिये। मृतक के घर के पास पहुँच कर लल्ला और नीरज घर पर गये तथा पल्सर गाडी पर राजवीर बाहर खड़ा रहा। घर के अन्दर जाकर मुंशी से काम के लिये बताकर वकील साहब को बुलाया और फाइल देने के बहाने कमरे मे जाकर लल्ला ने कनपटी पर गोली मार दी। इसके बाद तीनो मोटर साईकिल से लखनऊ चुंगी से बिलग्राम चुंगी से सांडी चुंगी से दाहिने कट लेकर पुलिया वाला रोड पकड़ कर बावन रोड़ से जोगीपुर गांव गये । घटना करने के बाद लल्ला ने उसी मोबाइल नम्बर से आदित्य को फोन किया कि काम हो गया है। नीरज ने अपनी पहचान छिपाने के लिये उसी दिन शाहजहाँपुर रोड पर स्थित एक नाई की दुकान पर अपने बाल कटवा लिये थे । जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर/स्वाट/एसओजी व सर्विलांस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त नीरज पुत्र संतराम निवासी ग्राम झरोईया थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई को दिनांक 01.08.2024 को पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया जा चुका है । प्रकाश में आये अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी थे । इस क्रम में आज दिनांक 02.08.2024 को पुलिस टीमों द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये वाछित अभियुक्त आदित्य भान सिंह उर्फ लालू सिंह पुत्र स्व0 राजवर्धन सिंह निवासी ग्राम सराय थोक पश्चिमी, कोतवाली शहर जनपद हरदोई, वीरेन्द्र सिंह उर्फ वीरे यादव पुत्र स्व0 नत्थू निवासी ग्राम बरगदापुर थाना अरवल, शिखर गुप्ता पुत्र राकेश कुमार गुप्ता निवासी धर्मशाला रोड निकट रफी अहमद चौराहा कोतवाली शहर व नृपेन्द्र त्रिपाठी पुत्र रामकृष्ण त्रिपाठी निवासी 290/14 रामनगर कालोनी लखनऊ रोड कोतवाली शहर, हरदोई को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास जारी है । वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.आदित्य भान सिंह उर्फ लालू सिंह पुत्र स्व0 राजवर्धन सिंह निवासी ग्राम सराय थोक पश्चिमी, कोतवाली शहर जनपद हरदोई

2.वीरेन्द्र सिंह उर्फ वीरे यादव पुत्र स्व0 नत्थू निवासी ग्राम बरगदापुर थाना अरवल, हरदोई

3.शिखर गुप्ता पुत्र राकेश कुमार गुप्ता निवासी धर्मशाला रोड निकट रफी अहमद चौराहा कोतवाली शहर, हरदोई

4.नृपेन्द्र त्रिपाठी पुत्र रामकृष्ण त्रिपाठी निवासी 290/14 रामनगर कालोनी लखनऊ रोड कोतवाली शहर, हरदोई

5.नीरज पुत्र संतराम निवासी ग्राम झरोईया थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई(दिनांक 01.08.2024 को गिरफ्तार किया गया) ।

गिरफ्तार अभियुक्त नीरज का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 109/20 घारा 394/411/120बी भादवि0 थाना लोनार, हरदोई।

2. मु0अ0सं0 400/18 घारा 279/304ए/427 भादवि0 कोतवाली शहर, हरदोई।

3.मु0अ0सं0 142/12 घारा 279/427/338 भादवि0 थाना कछौना, हरदोई।

4.मु0अ0सं0 79/19 घारा 394/302/201 भादवि0 थाना सोहरामऊ, जनपद उन्नाव।

गिरफ्तार अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह उर्फ वीरे का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 77/89 धारा 147/148/149/302 भादवि0 थाना माधौगंज, हरदोई।

2. मु0अ0सं0 104/91 धारा 147/148/352/504/506 भादवि0 थाना अरवल, हरदोई

3.मु0अ0सं0 106/91 धारा 436/506 भादवि0 थाना अरवल, हरदोई।

4. .मु0अ0सं0 129/91 धारा 147/148/149/353/186/224/225 भादवि0 थाना अरवल, हरदोई।

5. .मु0अ0सं0 137/92 धारा 399/402/307 भादवि0 थाना अरवल, हरदोई।

6. .मु0अ0सं0 559/90 धारा 365 भादवि0 थाना गुरसहायगंज, कन्नौज।

7. .मु0अ0सं0 914/93 धारा 420/506 भादवि0 कोतवाली शहर, हरदोई।

8. .मु0अ0सं0 59/92 धारा 420 भादवि0 थाना बिलग्राम, हरदोई।

9. .मु0अ0सं0 12/88 धारा 388/411 भादवि0 कोतवाली देहात, हरदोई।

10.मु0अ0सं0 2406/96 धारा 3/25 शास्त्र अधिनियम भादवि0 थाना मऊ दरवाजा फर्रुखाबाद।

11. .मु0अ0सं0 1278/96 धारा364 भादवि0 थाना गुरसहायगंज, कन्नौज।

12. .मु0अ0सं0 68A/06 धारा 147/148/149/307/324/504/506 भादवि0 थाना अरवल, हरदोई।

13. .मु0अ0सं0 101/08 धारा 504/506/171ग भादवि व 3(1)X SC/ST एक्ट थाना अरवल हरदोई।

14. .मु0अ0सं0 771/13 धारा 147/323/506 भादवि को0 शहर हरदोई।

15. .मु0अ0सं0 120/07 धारा 110G सीआरपीसी थाना अरवल हरदोई।

16. मु0अ0सं0 76/09 धारा ¾ उ0प्र0 गुंडा एक्ट थाना अरवल हरदोई।

17. मु0अ0सं0 10/08 धारा 504/506/171 भादवि थाना अरवल हरदोई।

18. मु0अ0सं0 337/15 धारा 171E/332/388/34 भादवि व धारा 135 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम थाना अरवल हरदोई।

19. मु0अ0सं0 276/15 धारा ¾ उ0प्र0 गुंडा एक्ट थाना अरवल हरदोई।

20. मु0अ0सं0 15/16 धारा 328/302/506भादवि व 3(2)5 SC/ST एक्ट थाना अरवल हरदोई।
21. मु0अ0सं0 173/02 धारा 3 यूपी गुंडा अधिनियम थाना अरवल हरदोई।
22. मु0अ0सं0 28/02 धारा 110G CrPC थाना अरवल हरदोई।
23. मु0अ0सं0 97/17 धारा 3 यूपी गुंडा अधिनियम थाना अरवल हरदोई।
24. मु0अ0सं0 103/17 धारा 447 भादवि व धारा 2/3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम थाना अरवल हरदोई।
25. मु0अ0सं0 165/17 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना अरवल हरदोई।
26. मु0अ0सं0 144/21 धारा 171E/188 भादवि थाना अरवल हरदोई।
27. मु0अ0सं0 194/21धारा 188/269 भादवि व धारा 3 महामारी अधि0 थाना अरवल हरदोई।

अभियुक्त आदित्य भान का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 214/22 धारा 34/323/352/427/452/504/506 भादवि0 कोतवाली शहर, हरदोई।

अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.प्र0नि0 संजय पाण्डेय कोतवाली शहर, हरदोई।
2. उ0नि0 मार्कण्डेय सिंह कोतवाली शहर, हरदोई।
3.उ0नि0 अनुराग सिंह कोतवाली शहर, हरदोई।
4.हे0का0 सुशील पटेल कोतवाली शहर, हरदोई।
5.का0 कौशल देव कोतवाली शहर, हरदोई।
6.का0 चन्द्रशेखर पटेल कोतवाली शहर, हरदोई।

स्वाट,सर्विलांस/एसओजी पुलिस टीम का विवरण -

1. प्र0नि0 बृजेश कुमार मिश्रा स्वाट/एसओजी टीम हरदोई
2. उ0नि0 संतोष सिंह सर्विलांस प्रभारी हरदोई
3. हे0का0 रामकृष्ण द्विवेदी एसओजी टीम हरदोई
4. हे0का0 बीरन सिंह यादव एसओजी टीम हरदोई
5 का0 मंजेश कुमार स्वाट टीम हरदोई
6 हे0का0 अनिल सिंह चंदेल स्वाट टीम हरदोई
7 हे0का0 आनंद स्वाट टीम हरदोई।
8 का0 ओमवीर सिंह सर्विलांस टीम हरदोई
9. का0 बृजनंदन एसओजी टीम हरदोई
10. का0 अंकुर चौहान सर्विलांस टीम हरदोई
11 का0 यादवेन्द्र सिंह सर्विलांस टीम हरदोई

रामसेवक उर्फ लल्ला पुत्र स्व0 गोकरन
निवासी ग्राम जोगीपुर मजरा तत्यौरा

नीरज पुत्र संतराम निवासी ग ग्राम झरोईया, कोतवाली
शहर जनपद हरदोई
रामसेवक उर्फ लल्ला पुत्र
स्व0 गोकरन